टी0ए0 मिस केस सं0 231/2018-19

आदेश

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
05.03.2019	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **विजय बानरा**, पिता–**स्व0 चोकरो बानरा** ग्राम–**टोन्टो**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– **पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा** ने मौजा– **टोन्टों थाना** नं०– 650,के अन्दर खाता नं०– **21** प्लॉट नं०– **2574** रकवा– **0.05** एकड़ भूमि क्रेता **सिदिऊ हाईबुरू** पिता– **स्व0 मुझीराम हाईबुरू** ,ग्राम– **भोया**,थाना– **मुफ्फसिल** के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संवंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–**166** दिनांक– **26.02.2019** एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धर मरम्मत हेतु रूप्ये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता, **सिदिऊ हाईबुरू** पिता– **स्व0 मुझीराम हाईबुरू** ,ग्राम– **भोया** थाना– **मुफ्फसिल** के पास **1,50,000.00/–(एक लाख पचास हजार)** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **3.50** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **विजय बानरा**,पिता–**स्व0 चोकरो बानरा** ग्राम–**टोन्टो**,थाना-**मुफ्फसिल**,क्रेता **सिदिऊ हाईबुरू** पिता– **स्व0 मुझीराम हाईबुरू** ,ग्राम– **भोया** थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल**1,50,000.00/– (एक लाख पचास हजार)** में मौजा– **टोन्टों थाना** नं०– 650,के अन्दर खाता नं०– **21**प्लॉट नं०– **2574** रकवा– **0.05** एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.... दी जाती है। लेखापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 5/3/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा	

Scanned with CamScanner